बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

।। अधिसूचना ।।

संख्या–सं0का0–1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05–06/2017–660/ पटना, दि०–**14.08.2025**

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0–16, 2006) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2025

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ। – (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2025 कही जा सकेगी।

(2) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2006 का नियम 14 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

14. सदस्यों को दूरभाष/मोबाईल/इंटरनेट भत्ता:–

"प्रत्येक सदस्य को भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की तिथि या उनके कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि जो भी पहले हो से संसदीय कार्यों के सम्पादन हेतु समेकित रूप से ₹8,300/–(आठ हजार तीन सौ) रूपये प्रतिमाह की दर से दूरभाष/मोबाईल/इंटरनेट भत्ता भुगतेय होगा। इसके लिए सदस्यगण को दूरभाष/मोबाईल/इंटरनेट विपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05–06/2017–660/पटना, दि0–**14.08.2025**

प्रतिलिपि–महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05–06/2017–660/पटना, दि0–**14.08.2025**

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए उनसे अनुरोध करना है कि अधिसूचना की 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें एवं आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14.08.2025

सरकार के अपर सचिव।

Amendment in Telephone Facility_2025.docx-main.docx

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

।। अधिसूचना ।।

संख्या--सं0का0–01/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05–06/2017–661/पटना, दि0–**14.08.2025**

संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–660 दिनांक 14.08.2025 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

Parliamentary Affairs Department

Notification

P.A.-1/V.M.(Salary & Allowances of Members)-05-06/2017-660/Patna, dt.-**14.08.2025**

In exercise of the powers conferred by the section 8 of the Bihar Legislature (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 2006 (Act No. 16, 2006) (As amended from time to time), the Governor of Bihar hereby makes the following Amendments in Bihar Legislature (Pay, Allowances and Pension of Members) Rules, 2006 (as amended from time to time) :-

Bihar Legislature (Pay, Allowances and Pension of Members) (Amendment) Rules, 2025

1. **Short title and commencement-**
   (1) These Rules may be called the Bihar Legislature (Pay, Allowances and Pension of Members) (Amendment) Rules, 2025.
   (2) They shall come into force from the date of its publication in the official gazzette.
2. **Rule 14 of the said Rules, 2006 shall be substituted by the following:-**
   14. Telephone/Mobile/Internet allowance for Members:-
   "From the date of notification of the Election Commission of India or the date of commencement of the tenure whichever is earlier each Member shall be entitled to receive ₹8,300/- (Eight Thousand Three Hundred) allowance per month in total for Telephone/Mobile/Internet facility for performing Parliamentary work. For this, the Members will not be required to submit telephone/Mobile/Internet bills."

By order of the Governor of Bihar

Sd/-
(Rajesh Kumar)
Additional Secretary to Govt.

Memo No: P.A.-1/V.M.(Salary & Allowances of Members)-05-06/2017-661/ Patna, dt.-**14.08. 2025**

Copy forwarded to Accountant General (A & E), Birchand Patel Path, Bihar, Patna/ Secretary in charge, Bihar Legislative Assembly/Secretary, Bihar Legislative Council/ Principal Secretary to Hon'ble Governor of Bihar, Patna/ Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar, Patna/ Private Secretary to Hon'ble Minister, Parliamentary Affairs Department/ Finance Department/ Law Department/ All Department of Government/ Advocate General, Bihar, Patna / Treasury Officer, Secretariat Treasury, Sinchai Bhawan, Patna.

Sd/-

Additional Secretary to Govt.

Memo No: P.A.-1/V.M.(Salary & Allowances of Members)-05-06/2017-661/ Patna, dt.-**14.08.2025**

Copy forwarded to Superintendent, Secretariat Press Gulzarbagh, Patna for publication in the extra ordinary Gazette and kindly send 1000 (One Thousand) copies of notification to Parliamentary Affairs Department / I.T. Manager, Parliamentary Affairs Department, Patna for uploading on departmental Website.

14.08.2025

Additional Secretary to Govt.

Amendment in Telephone Facility_2025.docx-main- Press.docx